



25.02.2024

## छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2024 सत्र

### दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 2024 (फाल्गुन 7,1945)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

#### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

#### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा - 19 के अंतर्गत तेईसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 पटल पर रखेंगे।
- (2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :-
  - (i) 381/एफ 2 (3)/48 संका./2023, दिनांक 12 जुलाई, 2023 एवं
  - (ii) 383/एफ 2 (3)/48 संका./2023, दिनांक 12 जुलाई, 2023पटल पर रखेंगे।

#### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

- (1) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य, सी.जी.एम.एस.सी. द्वारा दवाईयां वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (2) श्री प्रबोध मिंज, सदस्य, जिला-सरगुजा, थाना-लखनपुर में मेसर्स स्टार लाईट ग्रीड 36 लिमिटेड द्वारा एनर्जी स्टोरेज की स्थापना हेतु सर्वेक्षण कार्य बन्द नहीं किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः .... 2

निर्धारित समय 4. वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर चर्चा

3 घंटे श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित—

मांग संख्या	1	सामान्य प्रशासन
मांग संख्या	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	16	मछली पालन
मांग संख्या	25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	35	पुनर्वास
मांग संख्या	36	परिवहन
मांग संख्या	56	ग्रामोद्योग
मांग संख्या	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
मांग संख्या	65	विमानन विभाग
मांग संख्या	71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(4:00 बजे तक) श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024) का \*पुरःस्थापन करेंगे।

रायपुर,  
दिनांक 25 फरवरी, 2024

दिनेश शर्मा  
सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा

\*मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात्।